

फर्द अहकाम

- न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट बरसी, जयपुर

प्रतिवादीगण

उमोद सिंह व अन्य

बनाम

अन्तर्गत धारा 53,188 आर टी एक्ट


या 46/21

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
14/06/2021	<p>वादी की ओर से अधिवक्ता श्री गिरिराज प्रसाद प्रजापत द्वारा विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत 53,188 आर टी. एक्ट पेश किया गया। वादी का वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण के जरिये नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 09/07/2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>Mr.</i> उपखण्ड मजिस्ट्रेट बरसी, जयपुर</p>	<p style="text-align: right;">188 13/6/21 गिरिराज प्रजापत</p>
31/7/21	<p>पत्रावली आज पेश हुई। प्रतिवादी सरगमा। की ओर से वकील श्री सनातन पारीक के द्वारा वकालतनामा पेश किया गया व 2 लक्षणों के साथ 6 की ओर से पत्रावली श्री अमर चंद विले किशोर का वकालतनामा पेश किया गया। पत्रावली वास्तु अवधि 23/7/21 को पेश की।</p> <p style="text-align: center;"><i>Mr.</i> उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट कच्छी जिला-जयपुर</p>	<p>C/R COPY Rec. 6-7-21</p>
29/7/21	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी सरगमा प्रजापत द्वारा पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 17/8/21 को पेश की।</p>	
17/8/21	<p>पत्रावली कार्य के कारण जा सकी 5/10/21</p>	
2/10/21	<p>पत्रावली आज प्रशासन द्वारा वे सेंग अतिपत्र 2021 केम्य कानोन से पेश हुई, वादी द्वारा उपस्थित। प्रतिवादी से। की ओर अन्तर्गत सिंह पत्र उमोद सिंह उपस्थित 53 लक्षणों पर विचार सरपंच द्वारा पंचायत कानोन से</p>	<p style="text-align: right;"><i>Mr. Singh</i> उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट कच्छी जिला-जयपुर</p>

की है, वारी व प्रतिवारी में। को बाद पत्र पर
 मुद्रा गया। पत्रावली को अवलोकित एवं पत्रावली
 में प्रस्तुत दस्तावेजों को व बताते वारी को अवलोकित
 करते एवं वारी व प्रतिवारी में। को मुद्रा
 के पश्चात वार प्रत मुद्रा र. नं. ॥ रकमा
 ०.०३७९ हेमेट्टा, र. नं. १५, रकमा ०.५३११
 हेमेट्टा वर रकमा ०.५६९० हेमेट्टा स्थित
 ग्राम कोनेला तहसील वसी जिला नयपुर
 के संबंध में वारी का सीमा विवाद
 जाता है तथा तहसीलदार वसी को आदेश
 दिया जाता है कि उक्त वार प्रत मुद्रा को
 दो मु. अ. ति. व चार पत्रवली की प्रत प्रेषित
 कर सीमा जान पत्रकोत की मौजूदगी में कि
 बाकर पालता दिनांक १५ दिवस में सिफारिश /
 तथा वारी व प्रतिवारी (गण) को जलिये वसी
 विवेधा जा से पाबंद किए जाता है कि उक्त
 वार प्रत मुद्रा का सीमा जान होते तब एक
 कुसे को मुद्रा में सिफारिश की दलालदारी
 न करे। दिवसी फर्मा जारी हो, निर्णय व दिवसी
 की पालना हेतु तहसीलदार वसी को तहसीलदार
 हो। पत्रावली फौसल थुमार होकर वार तहसील
 दाखिल दफत हो।

३४०
 १२/१०/२१
 तहसीलदार वसी
 को तहसील वारी

यह निर्णय आज दिनांक २.१०.२०२१ को
 प्रशासन जखों के मांग आतिपात के मुद्रा करते।
 से सजसे आता से मुद्रा गया


 उप खण्ड अधिकारी
 वसी (जिला-नयपुर)